न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 04/2018 (Rcms No. 2018/00010)

उनवानी प्रकरण :–

1. रामदुलारे पुत्र मुख्त्यार सिहं जाति ठाकुर निवासी सिरोना थाना सरमथुरा हाल निवासी सरमथुरा जिला धौलपुर ———————————— प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर ——— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1959

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री रामदिहारी लाल अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभि0 (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 30.05.2018

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 28/77 दिनांक 31.12.2014 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 8.12.2015 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नम्बर 84/2014 धारा 143, 304 बी 498 ए 120 बी 201 ता0 हि0 दर्ज हुआ था तथा न्यायालय में चालान पेश हुआ । जिसमें अप्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में दिनांक 27.10.2015 को बरी किया गया । अप्रार्थी ने यह माना कि प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा बरी किया गया है तथा प्रार्थी ने शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के तथ्यों को छिपाया है । शस्त्र के दुरूपयोग होने की सम्भावना को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं लोक शांन्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को दिनांक 20.1.2017 के द्वारा निरस्त कर दिया । उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में दायर की गई । माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.1.2018 के द्वारा प्रार्थी (अपीलान्ट) की अपील स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के आदेश दिनांक 20.1.2017 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी (अपीलान्ट) को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश दिनांक 31.01.2018 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्रार्थी को अपने पक्ष में साक्ष्य एवं जबाव प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री रामबिहारी लाल अभिभाषक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनॉक 10.04.2018 के द्वारा अवगत कराया, कि प्रार्थी के अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना सरमथुरा एवं वृत्ताधिकारी वृत सरमथुरा द्वारा जॉच की गई प्रार्थी द्वारा शस्त्र का इस अवधि में दुरूपयोग नही किया गया है। प्रार्थी के खिलाफ थाना हाजा पर मु0 नं0 84/14 धारा 143, 304बी, 498ए, 120बी, 201 आई पी सी में दर्ज हुआ जिसमें चालान पेश न्यायालय किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2015 में प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया जा चुका है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। नवीनीकरण किये जाने बावत अभिमत व्यक्त किया है। शस्त्र का भौतिक निरीक्षण कर लिया गया है। समस्त जॉचों के पश्चात् प्रार्थी के हालात सही पाये गये। प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण किया जावे तो पुलिस को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की है ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी को आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 28/1977 वर्ष 1977 में जारी किया गया था जो दिनांक 31.12.2014 तक नवीनीकरण था जिसे आगे की अवधि तक नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 8.12.2015 को आवेदन किया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.5.2016 को जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.6.2016 द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा की थी। अप्रार्थी द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग होने की सम्भावना को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। निरस्ती आदेश की अपील माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर में की गई। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट (प्रार्थी) स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 को प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी ने हथियार का कभी कोई दुरूपयोग नहीं किया है। उक्त मुकदमा के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी का चाल चलन पुलिस द्वारा अच्छा बताया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या 28/77 बहाल/नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र 31.12.2014 तक नवीनीकरण था प्रार्थी ने समय रहते आर्म्स अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया एक साल पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान यह भी कथन किया कि गृह(ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

16.12.2006 में बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत सन्तुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जावे।

दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.6.2016 एवं 10.4.2018 में प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की सिफारिश की है। प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नही कराये जाने एवं प्रार्थी के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण निरस्त किया गया था। आपराधिक प्रकरण में प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा आर्म्स का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थी का चाल चलन अच्छा बताया है। पुलिस को नवीनीकरण किये जाने बावत कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण नही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि " **तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा ।**" राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी सरमथुरा को आदेश दिये जाते है, कि वे प्रार्थी का जमा शस्त्र उन्हें वापिस करे। आदेश की प्रतिलिपि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर एंव प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर (अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर) को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाडिया)
कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट
धौलपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजा.)